

## FIRE SAFETY CERTIFICATE

No. 4023

Dated: 24.1.2024

Certified that the ST. PAUL'S SCHOOL, PALI (name of the building or premises) at P.O. BOX: 55 (address) comprised of 01 BASEMENT IN TWO B. basement(s) and TWO FLOOR IN SEC. BLOCK & ONE FLOOR IN NEW BUILDING (upper floors) owned/ occupied by ST. PAUL'S SCHOOL, PALI (name of the institution) have complied with the fire prevention and fire safety requirements in accordance with rule of State/ UT Fire Service Rules, and verified by the officers concerned of Fire Service on 22/12/2023 (date of inspection) in the presence of MR. RAM LAL GHEHLOT (name and addresses of the Manager/ Secretary or his representative) and that the building/ premises is fit for occupancy upto classes NURSERY TO XII ( X/ XII) With effect from 24/01/2024 for a period of 01 year in accordance with rule and subject to compliance of specific conditions as appended:-

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Issued on 24/01/2024 (date of issue) at PALI (place) by

\*Strike out whichever is not applicable.

Signature with Seal: 

Name

रामलाल गहलोत

Designation

सहायक अग्निशमन अधिकारी  
नगर परिषद, पाली

Name & Address of Department/ Office:

To

.....

(Name & Address of the Institution)

## ENDORSEMENT

The No Objection Certificate issued by Fire Service stand cancelled an annulled due to  
.....  
(reasons to be recorded).

(Name and designation of the authorized signatory)

\* The filled up certificate should be either in Hindi or English. If it is issued in vernacular language, translated notarized version in English be uploaded along with the original vernacular certificate as a single pdf.

## कार्यालय नगर परिषद पाली (राज0)

(लालबहादुर शास्त्री टारुन हॉल, सुरजपोल के पास, पाली-मारवाड़, राज0, पिनकोड-306401)

(टेली-फेक्स:-02932-221301,ई-मेल:-cmcpali@yahoo.co.in,वेब-साईट www.mcpli.com)

क्रमांक प.18 ( ) अग्नि/2024/ 4023

दिनांक :- 24.1.2024

### —: अनापत्ति प्रमाण पत्र :-


प्रेषित :- सेन्टपॉल सीनीयर सैकेण्डरी स्कूल पाली

विषय :- अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत ।

प्रसंग :- आपके पत्र के क्रम में ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि सेन्टपॉल सीनीयर सैकेण्डरी स्कूल पाली के स्थान का मौका निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान अग्नि सुरक्षा हेतु बिल्डीग में लगे अग्निशमन यंत्र व्यवस्थित सही एवं चालु हालत में पाये गये आवश्यकता पडने पर इन अग्निशमन यंत्रों को उपयोग में लिया जा सकता है। उक्त बिल्डीग को अग्नि सुरक्षा व्यावस्था के अनुसार निम्न शर्तों पर पाबन्द करते हुए यह अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

1. यह अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगा ।
2. एक वर्ष के पश्चात आनापत्ति प्रमाण पत्र का नविनिकरण करवाया जाना आवश्यक होगा अन्यथा आनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त माना जायेगा ।
3. बिल्डीग के समस्त स्टॉफ व सिक्योरिटी गार्ड को वर्ष में एक बार अग्निशमन विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिलवाना आवश्यक होगा ।
4. बिल्डीग में लगे अग्निशमन यंत्रों को हमेशा चालु हालत में रखना होगा ।
5. अग्निशमन यंत्रों को समयवधि में रिफिलिंग करवाने होंगे ।
6. बिल्डीग में फायर सिस्टम को चलाने हेतु 24X7 घण्टे फायर प्रशिक्षित कर्मचारी रखना होगा ।
7. बिल्डीग का अग्निशमन अधिकारी द्वारा कभी भी निरीक्षण किया जा सकेगा व फायर सिस्टम कार्य स्थिति (चालु हालत) में नहीं पाये जाने की स्थिति में यह अभिषंशा पत्र निरस्त माना जायेगा ।
8. यदि राज्य सरकार/परिषद द्वारा भविष्य में कोई नियम/उपनियम जारी किया जाता है तो प्रबंधक को मान्य होगा ।
9. यह अनापत्ति प्रमाण पत्र अग्नि सुरक्षा की दृष्टि में मान्य होगा ।
10. बिल्डीग में पानी का टैंक ऊपर व नीचे बनाना होगा जिसका कनेक्शन उच्च हॉस पॉवर मोटर के साथ पर्याप्त पाईप लगाना होगा ।
11. बिल्डीग में साईन (सिंगल) बोर्ड लगाने होंगे ।
12. बिल्डीग में आने व जाने के लिये रास्ता खुला रखना होगा ।
13. बिल्डीग में वाहनो को रखने के लिये पार्किंग व्यवस्था रखनी होगी ।
14. बिल्डीग के व्यवस्थापक को आपातकालीन स्थिति में बिजली (जनेटर) की व्यवस्था रखनी होगी ।
15. बिल्डीग में आपात सेवाओं के दुरभाष नम्बर व घुम्रपान निषेध का साईन बोर्ड लगाना होगा ।
16. व्यवस्थापक द्वारा बिल्डीग के प्रस्तुत दस्तावेज एवं बिल्डीग के मानचित्र अनुसार के अलावा और निर्माण कार्य करने से पूर्व राज्य सरकारी/परिषद द्वारा/अग्निशमन अधिकारी से अनुमती लेनी होगी ।
17. बिल्डीग के अंदर किसी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ व अतिज्वलनशिल पदार्थ नहीं रखा जावे ।
18. रोप लेडर व दो रस्सा फैंक्ट्री के सभी टावर में टावर कि उंचाई जितना हर समय बिल्डीग में रखना होगा ।
19. भूमि व बिल्डीग संबंधित किसी भी प्रकार के विवाद हेतु यह पत्र बतौर साक्ष्य मान्य नहीं होगा एवं इस बाबत आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा ।
20. प्रस्तावित सेन्टपॉल सीनीयर सैकेण्डरी स्कूल पाली को बिन्दु सं.1 से 19 तक की पालना करनी होगी ।

  
सहायक अग्निशमन अधिकारी  
नगर परिषद पाली